राजस्व वाद संख्याः—171/2019
अतर सिंह आदि बनाम राकेश कुमार आदि
निर्णय दिनांकः— 17/8/22

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र :— 171/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2019/00908

1. अतर सिंह जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वी सिंह उम्र 50 साल जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज.

..........वादीगण

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
2. बिना कुमारी पुत्री पृथ्वी सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना हाल आबाद काकोड़ा तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू राज
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।
4. कश्मिरी पुत्री कस्तुरी जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज
5. विक्रम सिंह पुत्र सुमित्रा
6. रवि कुमार पुत्र सुमित्रा
7. रेखा पुत्री सुमित्रा जाति जाट निवासी काकोड़ा तहसल सुरजगढ जिला झुन्झुनूं राज

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

—:निर्णयः—

दिनांक :— 17/8/22

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् हाल खाता सं. 3 के खसरा नम्बर 1257/903 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 576 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 577 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 586 रकबा 1.82 है., खसरा नम्बर 753 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 926 रकबा 0.88 है., कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 है. भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवाद सं. 1 व 2 दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा यानी की 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा वादी सं. 1 का दर्ज रिकॉर्ड है। वादी सं. 1 का की माता किस्तुरी फौत हो चुकी है [illegible] उसका 1/4 हिस्सा भी वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 को ही मिला है। इस [illegible] व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 का भी 1/2 हिस्सा है इस [illegible] 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7 का 1/12 हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

2. यह कि वाद वर्णित भूमि को वादीगण व प्रतिवादी स0 1 व 2, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 ने आपस में 40–50 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है अच्छी उपजाऊ, कम उपजाऊ के हिसाब से बंटवारा कर रखा है। तथा उसी हिसाब से शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है।
3. यह कि बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 के हिस्से में खसरा नम्बर 926 रकबा 0.88 है. सम्पुर्ण, खसरा नम्बर 753 में से 1/2 हिससा रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1257/903 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 577 रकबा के उत्तरी पश्चिमी कौने में से 0.77 है, पर काबिज काश्त है। तथा वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 576 रकबा 0.01 है., सम्पुर्ण खसरा नम्बर 566 रकबा 1.82 है., सम्पुर्ण खसा नम्बर 753 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 577 मे से रकबा 1.00 है. भूमि पर काबिज काश्त है इस बाबत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 में कोई विवाद नही है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त होने से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तथा अपनी भूमि पर सुधार कार्य करने में व भूमि को रूपान्तरकरण करवाने में परेशानी पैदा हो रहीं है। इसलिए वादीगण ने अपनी भूमि को खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया है। जो सावधी है।
5. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।
6. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार यह वाद 2 रूपये निधारित न्यायलय शुल्क पर सेवार्पित है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). यह कि वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् हाल खाता सं. 3 के खसरा नम्बर 1257/903 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 576 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 577 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 586 रकबा 1.82 है., खसरा नम्बर 753 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 926 रकबा 0.88 है., कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 है. मे बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 के हिस्से में 926 रकबा 0.88 है. खसरा नम्बर 1257/903 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 753 में से 0.15 है., खसरा नम्बर 577 रकबा के उत्तरी पश्चिमी कौने में से 0.77 है, भूमि दर्ज करते हुए व वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 576 रकबा 0.01 है. सम्पुर्ण खसरा नम्बर 566 रकबा 1.82 है., सम्पुर्ण खसा नम्बर 753 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 577 मे से रकबा 1.00 है हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किया जावे।

(2). **दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।**

सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. [illegible] 7 की ओर से श्री कृष्ण कुमार सैनी एडवोकेट ने इकबालिया जवाब दावा [illegible] किया। शेष प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3). वादी की ओर से दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, पेश किए गए।

(4). **बहस सुनी गई।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(5) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 22.02.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त हुई । पक्षकरान ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

(6). बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हैं।

–:: आदेश ::–

वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् हाल खाता सं. 3 के खसरा नम्बर 1257/903 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 576 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 577 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 586 रकबा 1.82 है., खसरा नम्बर 753 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 926 रकबा 0.88 है., कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17.8.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 171/2019
निर्णय दिनांक :–

अतर सिह **बनाम** राकेश कुमार आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 की ओर से **श्री कृष्ण कुमार सैनी एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 17/8/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि–

" वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् हाल खाता सं. 3 के खसरा नम्बर 1257/903 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 576 रकबा 0.01 है. , खसरा नम्बर 577 रकबा 1.77 है., खसरा नम्बर 586 रकबा 1.82 है., खसरा नम्बर 753 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 926 रकबा 0.88 है., कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 17/8/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.) बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested